न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प शिव

पीठासीन अधिकारी'–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 34/2012

अपीलांट
तिलाराम पुत्र ईशराराम
जाति जाट निवासी पाबूमाली
तहसील,शिव

बनाम्

रेस्पोडेंट्स
1.मालाराम पुत्र भींयाराम
2.बगताराम पुत्र भीयांराम
3.भोमाराम पुत्र केसराराम
4.खेताराम पुत्र केसराराम
5.रामू पत्नि केसराराम
6.तगाराम पुत्र भैराराम
7.रम्भा पत्नि भैराराम
8.मगाराम पुत्र ईशराराम
9.देरामाराम पुत्र ईशराराम
10.नैनाराम पुत्र ईशराराम
11.तेजाराम पुत्र उदाराम
12.वालाराम पुत्र उदाराम
13.भोमाराम पुत्र चैनाराम
14.कौशलाराम पुत्र चैनाराम
15.पन्नी पत्नि चैनाराम
जातियान जाट निवासीयान
पाबूमाली तहसील शिव
16.राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार,शिव

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 22.12.2010 द्वारा तहसीलदार शिव

उपस्थितः–1.अपीलांट अनुपस्थित
2.रेस्पोडेंट संख्या 01,06 एंव 13 उपस्थित,दीगर अनुपस्थित।
3.रेस्पोडेंट संख्या 16 तहसीलदार शिव उपस्थित।

निर्णय दिनांक 21.06.2016

1. संक्षेप में अपीलांट्स की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 15 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 270,447,448,449 कुल रकबा 393–09 बीघा,खसरा नम्बर 464 रकबा 79–05 विस्वा व खसरा नम्बर 536,538 कुल रकबा 126–04 बीघा ग्राम पाबूमाली एंव खसरा नम्बर 568 रकबा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

10 विस्वा व खसरा नम्बर 786 रकबा 88–04 विस्वा कुल 88–14 बीघा ग्राम काश्मीर में आयी हुई है। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 15 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार, शिव के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया था, जिस पर तहसीलदार शिव ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2010 द्वारा कर पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर विभाजन स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मियाद शुमार क़रने का निवेदन किया। अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया।

2. अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किया एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब की गई।

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट शिव में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट एंव इनके अधिवक्ता बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहा। रेस्पोडेंट संख्या 01,06,13 एंव 16 उपस्थित रहे। दीगर रेस्पोडेंट बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहे। रेस्पोडेंट के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे।

4. हमने रेस्पोडेंट्स को सुना। अपील पत्रावली एंव अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार शिव द्वारा पारित विभाजन आदेश 22.12.2010 को स्वीकृत करने के विरूद्व पेश की है। मौजा पाबूमाली के खेत खसरा नम्बर 270,447,448,449 कुल रकबा 393–09 बीघा, खसरा नम्बर 464 रकबा 79–05 बीघा व खसरा नम्बर 536, 538 कुल रकबा 126–04 बीघा एंव मौजा काश्मीर के खसरा नम्बर 568 रकबा 10 विस्वा व खसरा नम्बर 786 रकबा 88–04 बीघा कुल 88–14 बीघा भूमि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 से 15 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज हैं। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 15 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार शिव के समक्ष आवेदन पत्र मय एग्रीमेंट पेश किया। ग्राम काश्मीर के खसरा संख्या 568 रकबा 10 विस्वा व 786 रकबा 88–04 बीघा का विभाजन भी

जिला कलक्टर
बाड़मेर

इसी आदेश में किया गया किया गया। विभाजन पत्र के पेज संख्या 02 में क्रम संख्या 02 पर अंकित खातेदार को खसरा नम्बर 568 में 10 विस्वा,खसरा नम्बर 786 रकबा 14–12 बीघा ,क्रम संख्या 03 के खातेदारों को खसरा नम्बर 786 रकबा 15.02 बीघा, क्रम संख्या 07 के खातेदार को खसरा नम्बर 786 रकबा 09. 02 बीघा एंव क्रम संख्या 09 के खातेदार को खसरा नम्बर 786 रकबा 29–11 बीघा एंव क्रम संख्या 10 के खातेदार को खसरा नम्बर 786 रकबा 20–07 बीघा कुल 89.–04 बीघा का विभाजन किया गया है जबकि इन खातेदारों के नाम राजस्व रिकॉर्ड मं ग्राम काश्मीर के खसरा नम्बर 586, 786 में कुल रकबा 88.14 बीघा ही दर्ज थी, मगर अपीलाधीन आदेश में खसरा संख्या 568 व 786 के कुल रकबा की जोड़ 89.04 बीघा यानि 09 विस्वा अधिक अंकित किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट ने अपील के साथ देरी से प्रस्तुत करने बाबत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र पेश किया जो अपील के तथ्यों को देखते हुए स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.12.2010 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण तहसीलदार शिव को इस निर्देश के साथ प्रति–प्रेषित किया जाता है कि मौजा काश्मीर के खसरा नम्बर 568 रकबा 10 विस्वा एंव खसरा नम्बर 786 रकबा 88–. 04 बीघा कुल रकबा 88–14 बीघा का पक्षकारान के मध्य नियमानुसार विभाजन कर पुनः' आदेश पारित करें।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

आदेश खुले न्यायालय कैम्प शिव में आज दिनांक 21.06.2016 सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)